न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी— जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र मुकदमा नम्बर :— विविध 488 / 20223
तारीख दायर :— 03.07.2023

झाबर मल पुत्र ईशरा जाति जाट निवासी कोलिडा तहसील व जिला सीकर

—प्रार्थी—

बनाम

1. भागीरथ पुत्र ईशरा
2. दीनदयाल पुत्र ईशर
3. जगदीश पुत्र डुंगाराम
4. लिखमीचन्द पुत्र डुंगाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण कोलिडा तहसील वजिला सीकर

—अप्रार्थी—

प्रार्थना—पत्र बाबत् पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

अधिवक्ता प्रार्थीः— श्री ईश्वर लाल यादव
अधिवक्ता अप्रार्थीः— श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत

—: निर्णय :—

दिनांक : 03.06.2024

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता आवेदन पेश किया गया जिसका संक्षेप में विवरण है कि ग्राम घडेल नगर पटवार हल्का कोलिडा तहसील व जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 1609 रकबा 0.4500 हैक्ट, खसरा नम्बर 2620 / 1605 रकबा 0.2900 हैक्ट, खसरा नम्बर 2625 / 1607 रकबा 0.1450 हैक्ट अवस्थित है। उक्त भूमियां प्रार्थी की खातेदारी की भूमियां है जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पडोसी खातेदार रहने के कारण अक्सर सीमा का विवाद बना रहता है। प्रार्थी अकेला है और अप्रार्थीगण प्रभावशाली व लडाकू प्रवृति के व्यक्ति है जो प्रार्थी से अकसर सीमा को लेकर विवाद करते रहते है। और प्रार्थी की सीमा को खुर्द बुर्द करते रहते है। प्रार्थी द्वारा मना करने पर प्रार्थी के साथ मारपीट करने पर उतारू रहते है और प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर उतारू रहते है।

प्रार्थी ने परेशान होकर अपनी भूमि के सीमा के विवाद को सलटाने के लिए सही सीमा ज्ञान करवाकर भूमि पर पत्थर रोपने के लिए तहसीलदार सीकर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर तहसीलदार सीकर को सीमाज्ञान करवाने के लिए आवेदन किया जिस

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

अभिभाषकता, स्वीकार

पर प्रार्थी की भूमियों का सीमज्ञान पटवारी कोलिडा द्वारा दिनांक 25.07.2022 को किया गया और उससे पहले भी एक बार प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया लेकिन सीमाज्ञान करवाये जाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण सीमा पर पत्थरगढी नहीं करने देते है और आये दिन प्रार्थी से लडाई झगडा कर प्रार्थी की भूमियों की सीमा को खुर्द बुर्द करने पर उतारू रहते है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर ग्राम घडेल नगर पटवार हल्का कोलिडा तहसील व जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 1609 रकबा 0.4500 हैक्ट, खसरा नम्बर 2620/1605 रकबा 0.2900 हैक्ट, खसरा नम्बर 2625/1607 रकबा 0.1450 हैक्ट की रिकार्ड के अनुसार पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार सीकर को आदेशित किया जावें।

प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की तामिल सम्यक रूप से हुई। बावजूद तामिल हाजिर नहीं। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत हाजिर। अप्रार्थीगण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई व बहस पर मनन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा आवेदन को स्वीकार कर पत्थरगढी करवाने बाबत् अपनी सहमति जाहिर की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम घडेल नगर पटवार हल्का कोलिडा तहसील व जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 1609 रकबा 0.4500 हैक्ट, खसरा नम्बर 2620/1605 रकबा 0.2900 हैक्ट, खसरा नम्बर 2625/1607 रकबा 0.1450 हैक्ट की सीमा पर पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार उक्त खसरा नम्बर को पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित तथ्यों व आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से आवेदन द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्ट व प्रमाणित है जिसे स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाकर ग्राम घडेल नगर पटवार हल्का कोलिडा तहसील व जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 1609 रकबा 0.4500 हैक्ट, खसरा नम्बर 2620/1605 रकबा 0.2900 हैक्ट, खसरा नम्बर 2625/1607 रकबा 0.1450 हैक्ट की पूर्वी सीमा के विवाद का विनिश्चय करते हुए पूर्वी सीमा को कायम कर नपति करके उक्त सीमाओं पर आवेदक के खर्चे पर स्थायी सीमा चिन्ह 30 दिवस में परिनिर्मित करवाने का तहसीलदार सीकर को आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर